बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 236868 पटना, दिनांक:- 03.07.2015

ग्रा0वि0-

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,

सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,

बिहार ।

विषय:- मनरेगा के कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक- 02.06.2015 को विकास आयुक्त, बिहार के अध्यक्षता में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में राज्य में मनरेगा की प्रगति की भी समीक्षा की गयी । उनके द्वारा राज्य में मनरेगा की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया। बैठक में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अपर सचिव भी उपस्थित थे ।

आप अवगत हैं कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये राज्य द्वारा 12.21 करोड़ मानवदिवस का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था जिसके आलोक में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 9.37 करोड़ मानवदिवस की स्वीकृत की गयी है तथा प्रथम किस्त के रुप में 237.54 करोड़ की राशि विमुक्त की गयी है । स्टेट पूल में अभी भी लगभग 500 करोड़ रूपये अवशेष है तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त 740 करोड़ रूपये विमुक्त करने का आश्वासन दिया गया है । राज्य में वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में संयुक्त रुप से लगभग 600 करोड़ का दायित्व भुगतान हेतु लम्बित है साथ ही वित्तीय वर्ष-2015-16 के लिए ~~अ~~ए अनुमोदित किये गये Shelf of Project में मानवदिवस सृजन की असीम संभावना है ।(प्रखंडवार प्रतिवेदन संलग्न)

इस क्रम में निम्नलिखित दिशा निर्देश दिये जाते हैं -

1. सभी प्रखंडों में पंचायतवार शिविर लगाकर इच्छुक जॉब कार्डधारियो से काम की मांग प्राप्त कराते हुए उसका निबंधन MIS पर भी कराया जाय ।

2. अनुमोदित श्रम बजट के अनुरूप ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित योंजनाओं का तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए Shelf of Project को एक सप्ताह के अन्दर MIS पर अपलोड कराया जाय ।

3. सम्भावित सुखाड़ के मद्देनजर सूखारोधी योजनाएं यथा जल संरक्षण एंव जल संचयन, पारम्परिक जल निकायों का पुर्नउद्धार, सामाजिक वानिकी की योजनाएं, लघु सिंचाई तथा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की योजनाएं प्रारम्भ की जाय ।

4. वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के भुगतान योग्य सभी लंबित दायित्वों का भुगतान FTO के माध्यम से जुलाई माह में कराना सुनिश्चित किया जाय । विदित हो की विभाग के विशेष अनुरोध पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 की डाटा ईंट्री 31 जुलाई तक खोल दी गई है ।

इसे दृष्टिपथ रखते हुए अनुरोध है की सभी इच्छुक ग्रामीण परिवारों का मनरेगा अंतर्गत काम की मांग ली जाय एवं तत्परता से उन्हे रोजगार दिया जाय तथा सभी ग्राम पंचायतों मे व्यापक पैमाने पर नए कार्य प्रारंभ किये जाय ताकि सुखाड़ की स्थिति के मद्देनजर उत्पन्न हुई अतिरिक्त मांग के अनुरूप ग्रामीणो को समुचित रोजगार मिल सके एवं किसी भी परिवार को पलायन के लिए बाध्य न होना पड़े ।

विश्वासभाजन,

प्रदीप कुमार
3.7.15

(प्रदीप कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 236868 पटना, दिनांक:- 03.07.2015

प्रतिलिपी:-सभी कार्यक्रम पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रदीप कुमार
सचिव 3.7.15